महिलाओं की स्थिति : दशा एवं दिशा

प्रमोद कुमार[1]

भारत सन् 1947 में स्वतन्त्र हुआ और सन् 1950 में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व आधारित प्रजातांत्रिक समाज के निर्माण की घोषणा हुई, लेकिन स्वतन्त्रता के 65 वर्षो के बाद भी स्त्रियां भारतीय समाज में सबसे कमजोर एवं हाशिए पर स्थित वर्ग में आती हैं। स्त्रियों की असुरक्षा व उनके प्रति असमानता का बोध सभी हिस्सों जैसे आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकीय, स्वास्थ्य, पोषण आदि में होता है और अनेक सामाजिक व आर्थिक तथ्य इस की पुष्टि करते हैं। समाज में महिलाओं के लिए सम्मान की स्थिति में ह्रास का प्रमाण उनके विरूद्ध बढ़ रही हिंसा व अपराध की घअनाओं से मिलता है। उनकी शक्तिहीनता का अनुमान बलात्कार, दहेज, लिंग अनुपात, पत्नी के शारीरिक उत्पीड़न व कन्या भ्रूण हत्या जैसी हिंसा की घटनाओं से लगाया जा सकता है। महिलाएं अपने परिवार में निम्न स्थिति में मानी जाती हैं और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कियाज ाता है। उनका उत्पीड़न व शोषण जाति व वर्ग भेद के परे देखा जा सकता है। यहां तक की नव समृद्ध परिवारों में भी स्त्रिां पुरुषों के अधीन होती हैं। ऐसे परिवारों में उनकी दोहरी पहचान होती है, जेसे एक पहचान परिवार में पुरुषों के अधीन और दूसरी परिवार से बाहर। वैवाहिक स्थिति एवं जनन क्षमता उन्हें एक अन्य पहचान देती हैं। विवाहित स्त्रियां मातृत्व प्राप्त करने के बाद एक अलग प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं, विशेषकर पुत्र प्राप्ति के बाद। कामकाजी महिलाओं को एक स्वतंत्र व प्रतिष्ठित स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन वे अपनी पारिवारिक भूमिकाओं से मुक्त नहीं होती। परिणामस्वरूप उन्हें सभी जगहों पर भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

भारतीय समाज में महिलाओं की प्रकृति व प्रस्थिति के सम्बन्ध में बहुत अस्पष्टता है। उनकी प्रस्थिति में अंतर्विरोधी छवियों के दर्शन होते हैं। समाज की मान्यता के अनुसार एक तरफ वे शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो भय व श्रद्धा उत्पन्न करता है, दूसरी तरफ अपने सौंदर्य व शील के लिए प्रशंसित होती हैं। पारम्परिक भारतीय समाज में स्त्रियां पारिवारिक क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करती थी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुष स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च माने जाते थे।

भारत में महिलाओं की स्थिति

महिलाएं आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऐतिहासिक रूप में इनकी स्थिति पर विचार करें तो दुनिया के लगभग सभी समाजों में ये पुरुषों से पिछड़ी रही है और इनके साथ कई निर्योग्यताएं एवं समस्याएं सम्बद्ध रही हैं। भारत में स्त्रियों की स्थिति पर विचार किया जाए तो वैदिक और उत्तर वैदिककाल में स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में इन्हें लगभग पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे तथा इस रूप में उन्हें पुरुषों के अधीन न मानकर पुरुषों के समान माना जाता था। परन्तु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उनके अधिकारों का परिसीमन इसकाल में भी दृष्टिगत होता है।

[1] शोध–छात्र, (जे.आर.एफ./नेट), समाजशास्त्र विभाग, राणा प्रताप महाविद्यालय, सुल्तानपुर

पौराणिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। यौन परिपक्वता पूर्व विवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रारंभ हो चुका था। परन्तु, बौद्ध काल में स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। इन्हें धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थानप्राप्त था, परन्तु आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

मध्यकाल में आकर स्त्रियों की सिति पुनः निम्न हो गई। पर्दा प्रथा कठोर हो गई। शिक्षण सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई। बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों का प्रचलन काफी बढ़ गया।

ब्रिटिश काल में औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा के विस्तार, सुधार आन्दोलनों, महिला आंदोलन और सामाजिक विधानों ने संयुक्त रूप से स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया, परिणाम स्वरूप लिंग असमानता मे कमी आई।

स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों की स्थिति मे सुधार हेतु संवैधानिक प्रावधानों, विकास कार्यक्रमों और महिला आंदोलनों के द्वारा प्रयास किये गये और संप्रतिकाल तक देखें तो स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार भी हुआ है। परन्तु, आज भी लिंग समानता के लक्ष्य से हम दूर हैं और स्त्रियों से जुड़ी अनेक समस्याएँ उनकी निम्न स्थिति को परिलक्षित कर रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में अभी भी महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं और उनके घरेलू कार्य को मान्यता नहीं मिल पाई है। आज भी स्त्रियों को शिक्षिका, नर्स, एयर होस्टेस, सेल्स गर्ल जैसी नौकरियों हेतु ही उपयुक्त माना जाता है। आज भी संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 13 प्रतिशत है जिन्हे किसीतरह कीसुविधा प्राप्त नहीं है। आज इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 4 प्रतिशत है।

आज भी दहेज प्रथा, स्त्रियों के साथ एक रोग की तरह जुड़ा है। ग्रामीण भारत में विधवा विवाह को अभी भी पूर्णतः सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है। गांवों में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, लड़कियों के जीवन साथी के चयन में माता–पिता की प्रबल भूमिका जैसे तत्व स्त्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज अंतर्जातीय विवाह करने वालों की हत्या कर दी जाती है (पश्चिमी उत्तर प्रदेश में)। हाल के वर्षो में दिल्ली में और अन्य जगहों पर बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण व हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, तथा इस तरह के कई मामले सामने आये हैं। आज भी शहरों या गांवों में मादा भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, पोषण में भेदभाव जैसी घटनाएं विद्यमान है।

उपरोक्त स्थितियाँ आज भी भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति को दर्शाती है।

लिंग सम्बन्धी असमानता

लैंगिक विषमता का अर्थ ''लिंगके आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहष्कार या बन्धन लगाने से है जिसका प्रभाव या उद्देश्य, चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसा भी हो, स्त्री–पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना या निष्प्रभावी बनाना हो और महिलाओं को उनके मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतन्त्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित करना हो।''

समाज में लैगिक विषमता के दो आधार है–

1. जैविकीय
2. सामाजिक–सांस्कृतिक

दोनों ही आधार लैगिक विषमता को अपने–अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं।

सेक्स और जेंडर

किसी प्राणी प्रजाति में अंडाणु उत्पन्न करने वाले (मादा–प्रजाति) और शुक्राणु उत्पन्न करने वाले (नर–प्रजाति) जीवों के बीच मूल भेदको सेक्स (यौन) कहते हैं जबकि जेंडर/लिंग सत्री और पुरुष के बीच सामाजिक विभेद को परिलक्षित करता है।

अन्ना ओकले, जिन्हें समाजशास्त्र में सेक्स शब्द को महतव प्रदान करने का श्रेय है, के अनुसार ''सेक्स का तात्पर्य स्त्री एवं पुरुष के जैविकीय विभाजन से है जबकि जेंडर का अर्थ स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व के रूप में सामाजिक रूप से किये गये विभाजन से है।''

लिंग असमानता की उत्पत्ति के कारण

लिंग असमानता की उत्पत्ति तीन मुख्य कारणों से होती है:–

1. पुरुष व महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं एवं उनमें अंतर्निहित शक्ति में भिन्नता।
2. स्त्रियों की गतिशीलताव स्वतन्त्रता में सांस्कृतिक–पारंपरिक अवरोध।
3. वैवाहिक एवं पारिवारिक व्यवहार।

लैगिक समानता के लिए सलाह

1. पुरुष और स्त्री, दोनों के शिक्षा के समान अवसर प्रदानकिये जाएं तथा दोनों के लिए समान पाठ्यक्रम हों। महिलाओं से कम शुल्क लेना चाहिये। विद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिये।
2. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक एवं आर्थिक पूर्वाग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए अब अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। यह महिलाओं की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने के लिए भी आवश्यक है। हमें प्रत्येक स्तर में महिलाओं की भर्ती, प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करना चाहिये इसके साथ–साथ व्यवसायिक क्षेत्र में भी महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करना चाहिये।
3. हमें महिलाओं के लिए गैर–औपचारिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिये। जिसके तहत उन्हें नेतृत्व, प्रशिक्षण, कृषि, गैर कृषि क्षेत्रों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, शिशु देखभाल, परिवार नियोजन तथा पोषण की शिक्षा दी जानी चाहिये।
4. हमें किराएदार संगठन, श्रम संगठन, सहकारिता जैसे जन संगठनों में महिलाओं को पूर्ण सदस्यता तथा मताधिकार देना चाहिये।
5. समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लायक बनने के लिए कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक विभेदीकरण नीति अपनाते हुये महिलाओं के प्रवेश को प्रोत्साहित करना चाहिये।

महिला सशक्तिकरण

सशक्तिकरण एक व्यापक शब्द है, जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आतंरिक कुशलताओं और शैक्षिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली–भांति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है, जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसंपन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुलें, नये विकल्प तैयार हों, भोजन , पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें, शिशुपालन, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिग सुविधायें, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों। महिला सशक्तिकरण की माप हेतु इसके अन्तर्गत सामानय तौर पर निम्नांकित चार तत्वों को सम्मिलित किया जाता हैः

1. संसद व विधान मंडलों में महिलाओं की भागीदारी का अंश।
2. प्रशासन एवं प्रबंधन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत।
3. प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात।
4. महिलाओं की प्रति व्यक्ति आमदनी और उसकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

महिला सशक्तिकरण की माप के लिए यद्यपि उपरोक्त चार तत्वों के अतिरिक्त अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है।

समय के बदलने के साथ ही महिला ने भी स्वयं को बदल लिया है। अब वह अपने महिलाहोने पर दुःख नहीं अपितु गौरव महसूस करती है। महिला विकास में सशक्तिकरण व स्वावलम्बन की प्रक्रिया अनिवार्य है। पर इसे वास्तव में रचनात्मक बनाने के लिए महिला को प्रयास जारी रखना पड़ेग। आज समाज को ऐसी अनेक महिलाओं की आवश्यकता है जो झांसी की रानी बनकर समाज में व्याप्त दुर्गुणों को दूर कर सके। महिलाओं को अपने विरूद्ध बुराइयों से लड़ने के लिए दृढ़निश्चयी होना पड़ेगा। उन्हें न केवल साहसिक कदम उठाना होगा बल्कि महिला अस्मिता को भी बचाये रखना होगा। आज जिस प्रकार कुछ महिलाओं द्वारा दहेज मांगने पर शादी से मना कर दिया जा रहा है, यह उनका अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं बुराइयों से लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अनेक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। अनेक संवैधानिक अधिकारों को निश्चित किया जा चुका है। संसद ने महिला कल्याण से सम्बन्धित अनेक कानून पास किया है। जबकि सरकार ने इस दिशा में स्वधारा, स्वंम–सिद्ध, स्वशक्ति, सुरक्षित मातृत्व जैसी अनेक योजनाओं को चालू किया है। आज महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। जबकि संसद एवं विधान मण्डलों में आरक्षण – विषयक प्रस्ताव लम्बित है।

इस प्रकार महिलाओं को कुछ अधिकार या सीमत आजादी की छूट देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान करने की आवश्यकता

है। उनके लिए सुरक्षा की भावना एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जब तक नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगी तब तक समाज का, राष्ट्र का, पूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसलिए यदि हमें अपने राष्ट्र को विकास के मार्ग पर ले जाना है तो महिलाओं की विकास की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही होगा।

हम आशा करते है जिस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। निकट भविष्य में अपने सारे अधिकारों को प्राप्त कर लेगी। सभी प्रकार की स्वतंत्रता होगी। वह पुरुषों के कंधो से कंधा मिलाकर चलेगी और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। जहां महिलाओं से सम्बन्धित किसी प्रकार की नियोग्यताएं नहीं होगी।

सन्दर्भ सूची

- स्रोत–NCERT 'भारतीय समाज की संरचना', पृष्ठ संख्या–117–118
- स्रोत–Tata mcgraw- Hills Series- समाजशास्त्र पृष्ठ 9.1–9.2 लेखक–एस0एस0 पाण्डेय।
- स्रोत–भारत में सामाजिक समस्याएं– क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स (प्रा0) लि0 नई दिल्ली।
- योजना पत्रिका।
- कुरुक्षेत्र पत्रिका।
- समाजशास्त्र–लेखक गुप्ता एवं शर्मा।